न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

अपील संख्या :– 82/2015 (धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956)(R.C.M.S . no 2015/00063)

रामकिशन पुत्र श्री डरौला जाति ब्राहमण निवासी भॉडौर तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. रामरतन पुत्र डरौला जाति ब्राहमण निवासी ग्राम भॉडौर तहसील व जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील भरतपुर।

रैस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर दिनांक 14.9.2015 प्रकरण संख्या 26/2010 रामरतन बनाम राजस्थान सरकार प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थितिः–

1. श्री दिनेश शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. श्री राजेन्द्रसिंह वकील रैस्पोडेन्ट।
3. राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः– 27.3.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 14.9.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि उपखण्डाधिकारी भरतपुर के समक्ष रैस्पोडेन्ट संख्या 1 रामरतन के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि गत आराजी खसरा नम्बर 347 रकबा 4 बीघा 18 विस्बा ग्राम भांडौर था जिसका विभाजन हुआ । विभाजन से गत खसरा नम्बर 347 मिन रकबा 2 बीघा 9 विस्बा रैस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी में आया । हाल सैटिलमेन्ट ने इसका नवीन खसरा नम्बर 258/0.21 है0 बनाया है, जो गत रकबा के मुकाबले 0.20 है0 कम दर्ज रिकार्ड किया गया है। इसके विपरीत अपीलान्ट एवं रैस्पो0 –2 के गत खसरा नम्बर को हाल सैटिलमेन्ट में नवीन खसरा नम्बर में निम्न सारणी अनुसार बढा दर्शित कर दिया है–

जिसका रकबा वेशी है	गत ख0नं0 मय रकबा	हाल ख0नं0 मय रकबा	वेशी रकबा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

	(रकबा बीघ विस्बा में)	(रकबा हैक्टैयर में)	(रकबा हैक्टेयर में)
रैस्पो0–2 राज0सरकार	344 मिन / 2.10	578 / 0.47	(+) 0.07
अपीलान्ट रामकिशन	677 / 2.02	577 / 0.45	(+) 0.12

सैटिलमेन्ट विभाग को किसी भी कृषक के रकबा को कम करने या अधिक करने का अधिकार नहीं है। मौके पर रकबा पूर्ण है सिर्फ राजस्व रिकार्ड में अन्तर है इसलिऐ रैस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रैस्पोडेन्ट संख्या–2 के हाल खसरा नम्बर 578 से 0.07 है0 व अपीलान्ट के हाल खसरा नम्बर 577 से 0.12 है9 रकबा कम कर अपने हाल खसरा नम्बर 258 को खसरा नम्बर 258 / 0.41 है0 दर्ज रिकार्ड किये जाने की प्रार्थना की गई। तहत अदालत उपखण्डाधिकारी भरतपुर द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.9.2015 पारित करते हुये रैस्पोडेन्ट संख्या–1 रामरतन का प्रार्थना पत्र आशिंक स्वीकार करते हुये खसरा नम्बर 578 में से 0.06 कम कर हाल खसरा नम्बर 258 / 0.21 है0 को 258 / 0.27 है दर्ज किये जाने एवं हाल खसरा नम्बर 578 के 0.06 है0 की कमीपूर्ति हाल खसरा नम्बर 577 में से 0.06 है0 कम कर इसे 577 / 0.39 है0 दर्ज किये जाने तथा तद्नुसार नक्शा ट्रैस में तरमीम किये जाने एवं शेष प्रविष्टियां याथावतत रखने के आदेश पारित किये गये । इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि रैस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्ध अदालत तहत में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत किया कि बन्दोवस्त विभाग ने रैस्पोडेन्ट का रकबा कम कर दिया है । रैस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र को अदालत तहत ने स्वीकार कर दुरूस्ती के आदेश दिनांक 14.9.2015 को दिये है जो कतई न्यायोचित नहीं है। प्रकरण की वास्तविकता यह है कि गत खसरा नम्बर 347 बीघा रकबा 4 बीघा 18 विस्बा से हाल बन्दोवस्त में हाल खसरा नम्बर 258, 261, 259 व 159 / 1422 किता –4 रकबा 72 हैक्टेयर बनाये गये है जबकि साविक खसरा नम्बर 347 के रकबा से हाल रकबा 0.78 हैक्टेयर बनना चाहिऐ था जो गत रकबा के मुकाबले 6 ऐयर रकबा ही कम था जबकि रैस्पोडेन्ट संख्या 1 रामरतन ने अपना रकबा 20 ऐयर कम अंकित करते हुये प्रार्थना पत्र तहत अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था अर्थात रैस्पो0–1 क्लीन हैण्ड से तहत अदालत के समक्ष पेश नहीं हुआ था। यह कि रैस्पोडेन्ट संख्या –1 के हाल खसरा नम्बर 258 तथा अपीलान्ट के हाल खसरा नम्बर 577 के बीच में गैर मुमकिन रास्ते का हाल खसरा नम्बर 578 / 0.47 स्थित है जो साविक खसरा नम्बर 344 मिन रकबा 2 बीघा 10 विस्बा से बना है जो गत रकबा से 0.07 हैक्टेयर अधिक दर्ज है इससे ही रैस्पोडेन्ट संख्या 1 के 6 ऐयर रकबे की पूर्ति हो रही थी और पूर्ति होने के बाद भी 1 ऐयर रकबा वेशी रहता है फिर भी गैर मुमकिन रास्ते के रकबा में अपीलान्ट के हाल खसरा नम्बर 578 में से 6 ऐयर रकबा कम कर गैर मुमकिन रास्ते के नम्बर में बढाने के आदेश अपीलाधीन निर्णय के अंतर्गत दिये गये है। जब गैर मुमकिन रास्ते का रकबा साविक के मुकाबले 1 ऐयर रकबा पहले से ही वेशी रहता है तो फिर अपीलान्ट के रकबे को कम करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। इसके अलावा साविक खसरा नम्बर 347 का हाल नम्बर 259 / 1433 रकबा 0.10 ऐयर का भी बना है इस तथ्य पर भी अदालत

तहत ने कतई विचार नहीं करते हुये आज्ञा जेरे अपील पारित करने में कानूनी गलती की है। इसके अलावा जब रैस्पोडेन्ट संख्या–1 स्वयं यह स्वीकार करता है कि मौके पर रकबा पूर्ण है तो फिर नक्शे में तरमीम की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। तहत अदालत ने अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो काबिले मंसूखी है। इस संदर्भ में वकील अपीलान्ट का यह भी तर्क है कि सैटिलमेन्ट समाप्ति के पश्चात उपखण्डाधिकारी को 136 एल आर एक्ट के तहत रकबा कमी वेशी का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है जैसा कि न्यायिक दृष्टान्त आर आर डी 1990 पृष्ठ 460 डी (डीवी) , 2009 आर आर डी पेज 560, 2018 आरबीजे पेज 659, 2008 आरआरडी पेज 34 पर प्रतिपादित किया गया है कि '' Sub Divisional Officer had no right to correect settelmant record after close of settlement operation'' सैटिलमेन्ट समाप्ति के बाद पीडित पक्षकार के पास एक मात्र उपचार सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद पेश करना है। सक्षम न्यायालय में दावा भी पेण्डिग होते हुये तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिससे अपीलान्ट को सख्त हकतलफी पैदा हो गई है । अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश में से "हाल खसरा नमबर 578 के 0.06 हैक्टेयर की कमीपूर्ति हाल खसरा नम्बर 577/0.45 में से 0.06 हैक्टेयर कम कर इसे 577/0.39 हैक्टेयर दर्ज यिा जावे को निरस्त किया जावे"।

वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा तहत अदालत उपखण्डाधिकारी भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.9.2015 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह कि उक्त प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि रैस्पोडेन्टस संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एकट न्यायालय तहत के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट एवं रैस्पोडेन्ट की साविक आराजी खसरा नम्बर 347 रकबा 4 बीघा 18 विस्बा था जिसका विभाजन होकर 347 मिन रकबा 2 बीघा 9 विस्बा अपीलान्ट रामकिशन के हिस्से में तथा 347 मिन रकबा 2 बीघा 9 विस्बा रैस्पोडेन्ट रामरतन के हिस्से में आया। रैस्पोडेन्ट रामरतन की आराजी खसरा नम्बर 347 मिन रकबा 2 बीघा 9 विस्बा से हाल खसरा नम्बर 258/0.21 , 261/0.10 कुल 0.31 ऐयर बनाये है जो साविक रकबा से 0.10 ऐयर कम है जबकि साविक रकबा के बराबर 0.40 ऐयर होना चाहिऐ। अपीलान्ट का साविक खसरा नम्बर 677 रकबा 2 बीघा 2 विस्बा था जिसका हाल नम्बर 577 रकबा 0.45 ऐयर बनाया है जो साविक रकबा से 0.12 ऐयर अधिक है इसलिऐ रैस्पोडेन्ट संख्या–1 ने इस वेशी रकबा 0.12 ऐयर में से कम करते हुये अपनी हाल आराजी खसरा नम्बर 258 की पूर्ति करने की प्रार्थना की थी। रैस्पोडेन्ट संख्या–1 ने अपने कथनों के समर्थन में हाल नक्शा, साविक जमाबन्दी सम्बत 2031–34, नकल मिलान क्षेत्रफल पेश किये है। तहत अदालत ने तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की मौका रिपोर्ट में अपीलान्ट की हाल आराजी खसरा नम्बर 577 मे से 0.06 ऐयर कम करने तथा रैस्पोडेन्ट संख्या–1 के खसरा नम्बर 258 में जोडने की सिफारिश की गई। तहत अदालत ने बाद परीक्षण गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया है जो न्यायोचित है। इसके अलावा रैस्पोडेन्ट ने यदि अपने प्रार्थना पत्र में 0.20 ऐयर रकबा कम अंकित कर भी दिया तो उसे

अदालत तहत ने सिर्फ अनुतोष 0.06 ऐयर की बाबत ही दिया गया है जो न्यायसंगत है और रैस्पोडेन्टस संख्या–1 स्वीकार करता है। इसके अलावा यह निर्विवाद है कि अपीलान्ट का हाल रकबा बढा हुआ है तो उस सूरत में भी 0.06 ऐयर रकबा कम करने के बाबजूद भी अपीलार्थी के पास 0.07 ऐयर रकबा अधिक रहता है। ऐसी सूरत में न्यायालय तहत द्वारा पारित आदेश जेरे अपील में किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज योग्य ही रहती है। तहत अदालत द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत है जो किसी भी प्रकार से अवैधानिक नहीं है लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.9.2015 यथावत रखा जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्धान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत के आदेश दिनांक 14.9.2015 अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि रैस्पोडेन्ट संख्या–1 रामरतन का रकबा गत के मुकाबले 0.06 है0 कम हुआ है तथा अपीलान्ट रामकिशन का रकबा 0.12 तथा रैस्पो0 संख्या–2 सरकार का रकबा 0.07 है वेशी पाया गया है। यह भी निर्विवाद है कि मौके पर रकबा पूर्ण है केवल रिकार्ड में दुरूस्ती की जानी है और यह भी स्पष्ट है कि रैस्पो0–2 सरकार (गैर मुमकिन रास्ता) का रकबा अपीलान्ट एवं रैस्पोडेन्ट संख्या–1 के रकबे के बीच (मध्य) में स्थित है। ऐसी स्थिति में समीप के वेशी रकबा को छोड कर अन्य रकबे में से पूर्ति किया जाना तर्क संगत नहीं रहता है क्यों कि दौराने दुरूस्ती कार्यवाही कमीवेशी समीप के रकबे से ही किया जाना ही उचित रहता है । अपीलाधीन आदेश में अंकित यह तथ्य कि ''सिवायचक कुल गत रकबा के हाल कुल रकबा में बढोत्तरी प्रमाणित नहीं है'' तथ्यपरक नहीं है क्यों कि तहत पत्रावली में संलग्न मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से एवं अपीलाधीन आदेश में स्वयं उपखण्डाधिकारी भरतपुर द्वारा अपनी विवेचना में सरकारी रकबे के संदर्भ में यह स्पष्ट किया है कि ''हाल खसरा नम्बर 578/0.47 है0 गत खसरा नम्बर 344 मिन रकबा 2 बीघा 10 विस्वा से बना है जो गत से 0.07 है0 अधिक दर्ज है।'' इसके अलावा स्वयं रैस्पोडेन्टस संख्या–1 ये स्वीकार करते है कि मौके पर रकबा पूर्ण है तो फिर अपीलान्ट के रकबे को कम कर रास्ते के रकबे में जोडा जाकर नक्शे में तरमीम किये जाने का भी कोई औचित्य नहीं रहता है। चूंकि रास्ते का रकबा पहले से ही 0.07 है0 गत के मुकाबले अधिक है। प्रकरण में कृषक रैस्पोडेन्टस संख्या –1 के रकबे की कमीपूर्ति किया जाना न्यायसंगत है, किन्तु यह कमीपूर्ति समीप के वेशी रकबे से न करते हुये अन्य रकबे खसरा नम्बर 577 से पूर्ति किया जाना और तदनुसार नक्शा ट्रैस में भी मौके पर रकबा पूर्ण होने के बाबजूद तरमीम के आदेश दिया जाना न्यायोचित नहीं रहता है । उपर्युक्त तथ्यों के मध्यनजर प्रकरण में दौराने दुरूस्ती कार्यवाही पारदर्शिता एवं गुणावगुण का अभाव पाया गया है लिहाजा प्रकरण पुनः जांच हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित रहता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है तहत अदालत उपखण्डाधिकारी भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.9.2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्डाधिकारी भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता

सत्यमेव जयते
Web copy - Not official

है कि प्रकरण में मौके के वास्तविक तथ्यों से रूबरू होते हुये पक्षकारान के कमी–वेशी रकबे के संदर्भ में राजस्व रिकार्ड के परिपेक्ष्य में पुनः जांच कर गुणावगुण के आधार पर न्यायसंगत आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 27.3.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official